सं. ए-37013/01/2018-स्था. (एएल)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

ओल्ड जे.एन.यू कैंपस,
नई दिल्ली दिनांक: 08.09.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा शुल्क स्वीकार करने के संबंध में अनुदेश (सिविल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा शुल्क स्वीकार करने के अलावा) -तत्संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा शुल्क स्वीकार करने (सिविल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा शुल्क स्वीकार करने के अलावा) से संबंधित इस विभाग के दिनांक 21.1.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16013/1/93- स्थापना (भत्ते) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि एसआर 12 के अधीन कार्यालय समय के बाहर किए जाने वाले सामयिक और आकस्मिक कार्य के लिए शुल्क सीमा, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो को, राजपत्रित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4829(ई) दिनांक 15.11.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा 15.11.2021 से एक वित्तीय वर्ष में 1500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

2. अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3 जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्मिकों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।